उत्तराखंड विधान सभा

प्रथम सत्र 2026

10 मार्च, 2026

[वन मंत्रालय - लोक निर्माण मंत्रालय].

कुल प्रश्न 20

श्री नंदादेवी राजयात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है तथा कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है

*1 **श्री बृजभूषण गैरोला (डोईवाला):**

लोक निर्माण मंत्रालय क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि हिमायली कुंभ के नाम से प्रसिद्ध श्री नंदादेवी राजयात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है तथा वर्ष, 2026 के अगस्त-सितम्बर मांह में श्री नंदादेवी राजयात्रा का आयोजन होना प्रस्तावित है? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि नंदा राजयात्रा को सुगम व सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या तैयारियां की जा रही हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि श्री नंदादेवी राजजात यात्रा के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा जिला प्रशासन चमोली द्वारा राजजात यात्रा के आस्था पथ से लेकर विभिन्न यात्रा पड़ावों पर क्या-क्या व्यवस्थायें की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रदेश में नहरों के माध्यम से किसानों को समय पर सिंचाई जल उपलब्ध न होने एवं इसके समाधान हेतु सरकार की कार्ययोजना के संबंध में।

*2 **श्री विरेन्द्र कुमार (झबरेड़ा):**

लोक निर्माण मंत्रालय क्या सिंचाई मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों को फसलों की सिंचाई हेतु नहरों के माध्यम से उचित समय पर पानी उपलब्ध नहीं होने के

कारण उनकी फसलें सूख कर खराब हो रही हैं ? क्या मंत्री जी इस तथ्य से भी अवगत हैं कि कई प्रमुख सिंचाई नहरों की समय पर सफाई न होने से, तकनीकी खराबी, अव्यवस्थित जल प्रबन्धन या आवश्यक मरम्मत के अभाव में इनमें जल आपूर्ति बाधित रहती है? क्या सरकार द्वारा किसानों को फसल के अनुरूप समय पर पर्याप्त सिंचाई जल उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई ठोस कार्ययोजना तैयार की गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त के सम्बन्ध में आतिथि तक की गयी कार्यवाही तथा समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित योजना का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

नेशनल पार्कों एवं सामान्य वनों से लगे क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा जनहानि की जिम्मेदारी तथा मुआवजा प्राविधान के संबंध में।

*3 **ई० रवि बहादुर (ज्वालापुर):**

वन मंत्रालय क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नेशनल पार्कों की सीमाओं से लगे सामान्य जंगल में जंगली जानवरों द्वारा लोगों को जो हानि होती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि नेशनल पार्कों या सामान्य जंगल की सीमाओं में जंगली जानवरों से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का प्राविधान है? यदि नहीं, तो क्यों?

वर्ष 2024 में प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं क्षति का विवरण मुआवजा वितरण एवं रोकथाम हेतु उठाए गए कदमों के संबंध में।

*4 **श्री सुरेश गढ़िया (कपकोट):**

वन मंत्रालय क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2024 में प्रदेश भर में कितने हैक्टेयर जंगल आग से जल गए एवं वनाग्नि की कितनी घटनाएं घटित हुई? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वनाग्नि के कारण पीड़ित लोगों को आतिथि तक मुआवजा के रूप में कितनी धनराशि अवमुक्त करायी गयी है और कितनी धनराशि अवमुक्त कराई जानी शेष है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार द्वारा वनाग्नि की रोकथाम कि लिए क्या-क्या ठोस कदम उठाए गए हंै? यदि नहीं, तो क्यों?

विगत् 05 वर्षों में ग्लेशियर ट्रैकिंग के दौरान हुई जनहानि मुआवजा विवरण एवं आपदा पूर्वानुमान प्रबंधन संबंधी कार्ययोजना के संबंध में।

"एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के आधार पर निरस्त।"

*5 **श्री सुरेश गढ़िया (कपकोट):**

लोक निर्माण मंत्रालय क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत् 05 वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हर वर्ष ग्लेशियरों में टैªकिंग के दौरान भारी बर्फवारी, हिमस्खलन

एवं एवलांच के कारण कितने टैªकर्स एवं पर्यटकों की जन हानियां हुईं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि टैªकिंग के दौरान अचानक होने वाले हादसों में मृतक/घायल व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया है व आतिथि तक कितने प्रकरण लंबित् हंै? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न ग्लेशियरों में टैªकिंग के दौरान अचानक होने वाली भारी बर्फबारी, हिमस्खलन, एवलांच एवं भारी वर्षा के पूर्वानुमान व इन आपदाओं से निपटने के लिए कोई ठोस योजना बनाई गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

जनपद चमोली के विकास खण्ड ज्योतिर्मठ स्थित ग्राम जुवाग्वाड़ में क्षतिग्रस्त पैदल झूला पुल के पुनर्निर्माण के संबंध में।

*6 **श्री बृजभूषण गैरोला (डोईवाला):**

लोक निर्माण मंत्रालय क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत् 05 वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हर वर्ष ग्लेशियरों में टैªकिंग के दौरान भारी क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड ज्योतिर्मठ के दूरस्थ ग्राम जुवाग्वाड़ का पैदल झूला पुल वर्ष, 2021 में ग्लेशियर टूटने से बह गया था? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि जुवाग्वाड़ झूला पुल टूटने के कारण ग्रामीणों को धौली नदी पर पुरानी तकनीकी वाली रस्सों से लटकी ट्राली से नदी पार करना जोखिम भरा होता है? क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त झूला पुल के स्थान पर नये पैदल झूला पुल का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

राज्य निर्माण के बाद से वन्य जीवों के हमलों में हुई जनहानि घायल व्यक्तियों का विवरण सुरक्षा उपाय एवं आश्रितों को रोजगार आजीविका प्रदान करने संबंधी नीति के संबंध में।

*7 **श्री बृजभूषण गैरोला (डोईवाला):**

वन मंत्रालय क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य निर्माण के बाद से आतिथि तक वन्य जीवों के हमलों में कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कितने लोग गम्भीर रुप से घायल हुए है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वन्य जीवांे के हमलो से बचाने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किये जा रहे है? क्या सरकार द्वारा वन्य जीवों के हमले में मृत व्यक्तियों के परिवार के आश्रितों को योग्यता के अनुसार नौकरी/आजीविका के लिए कोई नीति बनाई जा रही है? यदि हां, तो वह नीति क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

विभागीय पत्रांक संख्या-6070/ 2-6/1335/2023 यमुनोत्री धाम हेतु खरसाली से प्रस्तावित रोपवे निर्माण कार्य में विलंब के कारण एवं निर्माण की प्रगति के संबंध में।

*8 **श्री संजय डोभाल (यमुनोत्री):**

लोक निर्माण मंत्रालय क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि विभागीय पत्रांक संख्या-6070/ 2-6/1335/2023, दिनांक 06 जनवरी, 2023 को यमुनोत्री धाम के लिए खरसाली से रोपवे निर्माण कार्य के लिए आदेश जारी होने के बाद भी वर्तमान में रोपवे का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि कार्यदायी संस्था द्वारा अभी तक उक्त निर्माण कार्य में तीव्रता न लाने के क्या कारण हंै? क्या सरकार पर्यटन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उक्त रोपवे का निर्माण कार्य शीघ्र करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों

वन विभाग में विभिन्न विभागों के लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तावों एवं समय सीमा निर्धारण के संबंध में।

*9 **श्री खजान दास (राजपुर रोड):**

वन मंत्रालय क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश मंे सड़कांे के नव निर्माण/विस्तारीकरण हेतु वन विभाग में लोक निर्माण विभाग, पेयजल, विद्युत, सिचाई, ऊर्जा आदि विभागों के कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत संबधी कितने प्रस्ताव विभागवार लम्बित है? क्या सरकार प्रदेश मंे वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत न होने से विभिन्न विभागों को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में हो रहे विलम्ब को देखते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु कोई नियत समय-सीमा निर्धारित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रदेश के पर्वतीय एवं शहरी सीमावर्ती क्षेत्रों में जंगली जानवरों (बाघ, भालू, जंगली सुअर) आदि द्वारा फसलों के नुकसान एवं जनहानि की बढ़ती घटनाओं किसानों के पलायन की स्थिति तथा जन धन की सुरक्षा हेतु ठोस एवं प्रभावी नीति निर्माण के संबंध में।

*10 **श्री खजान दास (राजपुर रोड):**

वन मंत्रालय क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की खड़ी फसले बर्बाद करने से किसानों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है तथा प्रदेश भर में निवासरत ग्रामीण एवं किसान जंगली जानवरों द्वारा किये जा रहे फसलों के नुकसान एवं हमलों से त्रस्त है? क्या मंत्री जी यह भी अवगत है कि वर्तमान में जंगली जानवर जैसे बाघ, भालू सुअर आदि के हमलों से आये दिन जनहानि होती रहती है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में निवासरत एवं शहरी क्षेत्रों के किनारों मंे निवास कर रहे आमजन, राहगीरों एवं विद्यालय आते-जाते बालक-बालिकाओं को लगातार जान-माल का खतरा बना हुआ है? क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों से किसानों के फसलों एवं जनमानस के जानमाल की सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति बनायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रदेश में कितने पौराणिक मन्दिर स्थापित है, वर्ष 2022 से आतिथि तक सरकार द्वारा कितने मन्दिरों का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण किया गया है तथा सभी पौराणिक मंदिरों के पुनरुद्धार हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के संबंध में।

"विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।"

***11 श्री विनोद कण्डारी (देयप्रयाग):**

लोक निर्माण मंत्रालय क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा किसानों की खड़ी फसले बर्बाद करने से किसानों को पलायन के लिए मजबूर क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने पौराणिक मन्दिर स्थापित है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2022 से आतिथि तक सरकार द्वारा कितने मन्दिरों का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण किया गया है? क्या सरकार प्रदेश के सभी पौराणिक मन्दिरों के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रतापनगर के अन्तर्गत सेम मुखेम जाने वाले श्रद्धालुओं को वर्षा एवं धूप से बचाने हेतु पैदल मार्ग में कैनोपी/शेड निर्माण हेतु लंबित आंगणन की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

***12 श्री विक्रम सिंह नेगी (प्रतापनगर):**

लोक निर्माण मंत्रालय क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत सेम मुखेम जाने वाले श्रृद्धालुओं को वर्षा एवं धूप से बचाने हेतु पैदल मार्ग में कैनोपी/शेड निर्माण (जो कि मुख्यमंत्री की घोषणा भी है) का आंगणन स्वीकृति हेतु शासन में लम्बित् है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उपरोक्त लम्बित् आंगणन की वित्तीय स्वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र की हाट.बष्टी मोटर मार्ग पर मन्दाकिनी नदी के ऊपर निर्माणाधीन पुल का कार्य अवरुद्ध होने के कारण एवं उसके शीघ्र पुनः प्रारम्भ किए जाने के संबंध में।

"प्रथम शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या-18 में स्थानांतरित"

***13 श्रीमती आशा नौटियाल (केदारनाथ):**

लोक निर्माण मंत्रालय क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र की हाट-बष्टी मोटर मार्ग पर मन्दाकिनी नदी के ऊपर निर्माणाधीन पुल का कार्य अवरुद्ध पड़ा है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त निर्माणाधीन पुल का कार्य अवरुद्ध होने के क्या कारण

हैं? क्या सरकार जनहित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अवरुद्ध पुल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

केदारनाथ के अन्तर्गत गौरीकुण्ड से श्री केदारनाथ धाम तक घोड़े खच्चरों एवं पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए एलिवेटेड रोड़ बनाये जाने के संबंध में।

*14 **श्रीमती आशा नौटियाल (केदारनाथ):**

लोक निर्माण मंत्रालय क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत गौरीकुण्ड से श्री केदारनाथ धाम तक घोड़े, खच्चरों एवं पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए एलिवेटेड रोड़ बनाये जाने हेतु कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

विगत् वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग द्वारा आवंटित टेंडरों की संख्याए, स्थानीय ठेकेदारों की सहभागिता एवं संबंधित विवरण सदन के पटल पर रखने के संबंध में।

"विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।"

*15 **श्री सुमित हृदयेश (हल्द्वानी):**

लोक निर्माण मंत्रालय क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विगत् वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में कितने टेण्डर आवंटित किये गये हंै तथा इसमें स्थानीय ठेकेदारों की कितनी हिस्सेदारी रही है? क्या सरकार उपरोक्त से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रदेश में सिंचाई नहरों पर नहर कवरिंग कार्य स्वीकृत टेण्डरों की धनराशि एवं स्थानीय ठेकेदारों की हिस्सेदारी के संबंध में

"एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध होने के आधार पर निरस्त।"

*16 **श्री सुमित हृदयेश (हल्द्वानी):**

लोक निर्माण मंत्रालय क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश में कितने स्थानों पर सिंचाई की नहरों पर नहर कवरिंग का कार्य किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि नहर कवरिंग कार्य हेतु कितनी धनराशि के टेण्डर आवंटित हुये और उसमें स्थानीय ठेकेदारों की कितनी हिस्सेदारी रही है? क्या मंत्री जी उपरोक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

वर्ष 2025-26 में भालू एवं गुलदार के हमलों से जनहानि घायल व्यक्तियों की जनपदवार स्थिति मुआवजा भुगतान तथा भविष्य की कार्ययोजना के संबंध में

*17 **श्री प्रीतम सिंह पंवार (धनौल्टी):**

वन मंत्रालय क्या वन मंत्री अवगत हंै कि प्रदेश मंे वर्ष, 2025-26 में एकाएक आबादी वाले स्थानों में भालुओं तथा गुलदारों के अचानक हमलों से कई ग्रामीण घायल तथा कई लोगों की जान चली गई है? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि भालू एवं गुलदार के हमलों से घायल तथा मृत लोगों की जनपदवार संख्या क्या है और सरकार द्वारा प्रभावितों तथा उनके आश्रितों को किस दर से मुआवजे का भुगतान किया गया है? क्या सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में आबादी क्षेत्रों में भालुओं तथा गुलदार की आवाजाही रोकने के उपाय तथा कोई ठोस कार्ययोजना बनायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्वतीय क्षेत्रों के कृषकों के वन आधारित स्थानीय उत्पादों के विक्रय हेतु पंजीकरण रमन्ना प्रक्रिया की जटिलता एवं सरलीकरण संबंधी नीति के विषय में।

*18 **श्री महेश जीना (सल्ट):**

वन मंत्रालय क्या वन मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कृषकों के स्थानीय उत्पादों जैसे रीठा, आंवला, हरड़, बैहडत्र, गिलोय, धौल के फूल इत्यादि को विक्रय करने पर रमन्ना की बाध्यता है? क्या मंत्री जी इस बात से भी अवगत हैं कि कृषक को अपना पंजीकरण गोपेश्वर व सेलाकुई में जाकर कराना पड़ता है, तत्पश्चात रेंज कार्यालय व जिला वनाधिकारी कार्यालय से निकासी हेतु स्वीकृति मिलती है, जबकि इस लम्बी प्रक्रिया में कृषकों के उत्पाद खेतों में ही नष्ट हो जाते हैं? क्या सरकार स्थानीय उत्पादों के विक्रय हेतु कोई सरल नीति बनाकर कृषकों को लाभान्वित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

जनपद हरिद्वार में बाढ़ नियंत्रण हेतु निर्मित तटबन्धों की संख्या एवं वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित तटबन्ध निर्माण के संबंध में।

*19 **श्रीमती अनुपमा रावत (हरिद्वार ग्रामीण):**

लोक निर्माण मंत्रालय क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में बरसात के समय नदी का जल स्तर बढ़ जाने की स्थिति में उससे बचाव हेतु कितने तटबन्धों का निर्माण किया जा चुका है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्ष, 2026-27 में बाढ़ नियन्त्रण हेतु जनपद हरिद्वार में कुल कितने मीटर तटबन्ध का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रदेश में जंगली जानवरों की रिहायशी क्षेत्रों में प्रवेश रोकने हेतु उठाये गये उपाय एवं विगत् 04 वर्षों में निर्मित सुरक्षा दीवार / बाड़ का विवरण।

*20 **श्रीमती अनुपमा रावत (हरिद्वार ग्रामीण):**

वन मंत्रालय क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जंगली जानवरों को रिहायशी क्षेत्रों में प्रवेश की रोकथाम के लिए वन विभाग द्वारा क्या उपाय किये गये हैं? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जंगली जानवरों को आबादी क्षेत्र में प्रवेश रोकने के लिए विगत् 04 वर्षों में कितने भू-भाग में सुरक्षा दीवार, सुरक्षा बाड़ बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?